

प्रेस नोट दिनांक 08.09.2022

थाना तीतरो पुलिस द्वारा दिनांक 08.09.2022 को दो नफर वारन्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

सादर अवगत कराना है कि, श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर महोदय द्वारा वांछित / वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह तथा प्रभारी निरीक्षक थाना – तीतरों के कुशल नेतृत्व में दिनांक 08.09.2022 को थाना तीतरों की पुलिस टीम द्वारा दो नफर वारन्टी अभियुक्त 1. रामकुमार पुत्र रतिराम निवासी ग्राम कलसी थाना तीतरो जिला सहारनपुर 2. रविकुमार पुत्र रतिराम निवासी ग्राम कलसी थाना तीतरो जिला सहारनपुर सम्बन्धित वाद संख्या 2089/20 धारा 498ए,323,504,506 भादवि0 व ¾ डीपी एक्ट चालानी थाना महिला थाना के माननीय सिविल जज (जू0डि0) एफ.टी.सी. (महिलाओ के विरुद्ध अपराध) सहारनपुर नियत तिथि 04.11.2022 को इनके मसकन ग्राम कलसी से गिरफ्तार किया गया गिरफ्तार शुदा वारंटी अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा गया ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम

- (1) उ.नि. लोकेश कुमार , थाना – तीतरों, जनपद - सहारनपुर
- (2) उ.नि. अशोक कुमार , थाना – तीतरों, जनपद - सहारनपुर
- (3) का. 2538 चन्द्रशेखर , थाना – तीतरों, जनपद – सहारनपुर
- (4) का. 2494 देबू गौतम , थाना – तीतरों, जनपद – सहारनपुर

प्रेस नोट दिनांक 08.09.2022

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा ग्राम परौली में हुई शाहरुख की हत्या का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्त मय आलाकत्ल के गिरफ्तार, कब्जे से अवैध

तमचा व खोखा कारतूस बरामद:-

अवगत कराना है कि दिनांक 08.09.2022 को थाना देवबन्द क्षेत्र के ग्राम परौली में देर रात हुई शाहरुख पुत्र शलीम नि० ग्राम छपार थाना छपार, मुजफ्फरनगर की हत्या के सम्बन्ध में उसके भाई सलमान पुत्र समयदीन द्वारा लिखित तहरीरी सूचना दी गई। जिसके सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर मु०अ०सं० 584/22 धारा 302 भा०द०वि० पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर घटना का शीघ्र अनावरण करने हेतु थाना देवबन्द पुलिस को निर्देशित किया गया।

जिसके क्रम में आज दिनांक-08.09.2022 को पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द, सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में थाना देवबन्द पुलिस द्वारा उपरोक्त घटना में नामजद अभियुक्त 1.धर्मवीर पुत्र कवल सिंह निवासी ग्राम परौली थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर। 2.ओमपाल पुत्र कवल सिंह निवासी ग्राम परौली थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर को समय 09.15 बजे अभियुक्तगणों को सांपला अड्डा कस्बा देवबन्द जनपद सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। तथा अभियुक्तगण धर्मवीर की निशानदेही पर अभियुक्त के घर से हत्या में प्रयोग में लाये गये एक अदद देशी पोना 12 बोर व एक अदद खोखा कारतूस बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना देवबन्द पर मु०अ०सं० 584/22 धारा 302 भा०द०वि० अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

- 1-धर्मवीर पुत्र कवल सिंह निवासी ग्राम परौली थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
- 2-ओमपाल पुत्र कवल सिंह निवासी ग्राम परौली थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

- 1-01 देशी पोना 12 बोर (तमंचा) व 01 खोखा कारतूस

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-निरीक्षक श्री सिराजुद्दीन थाना देवबन्द, सहारनपुर।
- 2-उ०नि० ब्रजपाल सिंह थाना देवबन्द, सहारनपुर।
- 3-उ०नि० ललित तोमर थाना देवबन्द, सहारनपुर।
- 4-उ०नि० धीरज कुमार थाना देवबन्द, सहारनपुर।
- 5-कां० 63 कपिल प्रधान थाना देवबन्द, सहारनपुर।
- 6-कां० 2193 देश दीपक थाना देवबन्द, सहारनपुर।

प्रेस नोट दिनांक 08.09.2022

थाना नानौता जिला सहारनपुर

श्रीमान जी सादर अवगत कराना है कि दिनांक 08.09.2022 को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सहारनपुर द्वारा वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी गंगोह महोदय के कुशल निर्देशन/पर्यवेक्षण में थाना नानौता पुलिस द्वारा 01 नफर अर्जुन पुत्र सेठपाल निवासी ग्राम काशीपुर थाना नानौता जिला सहारनपुर सम्बन्धित वाद सं० 925/22 मु०अ०सं० 238/13 धारा 294/354घ/506 भादवि सरकार बनाम डबलू चालानी थाना नानौता नियत तिथि 09.09.2022 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट देवबन्द सहारनपुर को उसके मसकन से 09.20 बजे गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

वारंटी का नाम व पता :-

अर्जुन पुत्र सेठपाल निवासी ग्राम काशीपुर थाना नानौता जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम :-

1. थानाध्यक्ष श्री चन्द्रसैन सैनी ,
2. उ०नि० श्री नरेन्द्र भडाना
3. का० 32 सतीश नागर

प्रेस नोट दिनांक 08.09.2022

थाना नानौता सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार , कब्जे 02 अदद चाकू व चोरी की 01 मोटर साईकिल बरामद होना

अवगत कराना है कि श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय , जनपद सहारनपुर द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे धरपकड अभियान के अन्तर्गत श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय एव श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय गंगोह, सहारनपुर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 08.09.2022 को थाना नानौता पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर 02 शातिर वाहन चोर 1- कृष्णपाल उर्फ कैन्हया पुत्र शीशराम निवासी ग्राम छछरौली थाना नानौता जनपद सहारनपुर 2. दिनेश पुत्र नरेन्द्र सैनी निवासी ग्राम उनाली थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर को भारी झाल की ओर जाने वाली नहर पटरी से समय करीब 07.00 बजे पकड लिया। जिनके कब्जे से 02 अदद नाजायज चाकू व 01 चोरी की स्पलेण्डर प्लस मो0सा0 (सम्बन्धित मु0अ0स0 0206/22 धारा 379 भादवि थाना नानौता जनपद सहारनपुर) बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना हाजा पर मु0अ0स0 208/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम कृष्णपाल उर्फ कैन्हया उपरोक्त व मु0अ0स0 209/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम दिनेश उपरोक्त पंजीकृत किये गये। तथा बरामदगी के आधार पर मु0अ0स0 206/22 में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता :-

1. कृष्णपाल उर्फ कैन्हया पुत्र शीशराम निवासी ग्राम छछरौली थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. दिनेश पुत्र नरेन्द्र सैनी निवासी ग्राम उनाली थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

(1). मो0सा0 स्पेलण्डर प्लस रंग काला रजि0 सं0 UP 11 BM 6463, (सम्बन्धित मु0अ0स0 0206/22 धारा 379 भादवि थाना नानौता सहारनपुर)

(2). 02 अदद चाकू नाजायज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम :-

1. थानाध्यक्ष श्री चन्द्रसैन सैनी
2. उ0नि0 श्री राजीवक कुमार
3. का0 1258 सुमित कुमार
4. का0 241 राहुल शर्मा

प्रेस नोट दिनांक 08.09.2022

थाना तीतरो, सहारनपुर पुलिस द्वारा आबकारी अधिनियम के कुल 33 माल मुकदमाती की करीब 417 लीटर कच्ची शराब व 480 पव्वे देशी शराब को कराया गया नष्ट:-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा थानो पर दाखिल माल मुकदमाती के निस्तारण हेतू चलाये जा रहे अभियान के दौरान व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहारनपुर के कुशल पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निर्गत आदेश-निर्देशो के क्रम में व माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, सहारनपुर के आदेश दिनांकित 29.08.2022 के अनुपालन में थाना तीतरो पर अवैध नशे के कारोबार मे लिप्त अभियुक्तो से पकडी गयी अंग्रेजी/देशी/कच्ची शराब को मजदूरो की सहायता से मालखानो से निकलवाकर जे0सी0बी0 की मदद से थाना परिसर में गढ्ढा खुदवाकर कुल 33 माल मुकदमाती की करीब 417 लीटर कच्ची शराब व 480 पव्वे देशी शराब नष्ट करायी गयी । मौके पर क्षेत्राधिकारी गंगोह श्री चन्द्रपाल शर्मा, सहायक अभियोजन अधिकारी श्रीमती रचना सैनी, आबकारी निरीक्षक श्री बिलेन्द्र सिंह नायब तहसीलदार प्रवीण कुमार, एवं प्रभारी निरीक्षक थाना तीतरो मौजूद रहें ।

प्रेस नोट थाना नानौता जिला सहारनपुर

दिनांक 08.09.2022

श्रीमान जी सादर अवगत कराना है कि दिनांक 07.09.2022 को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सहारनपुर के निर्देशन एव श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय गंगोह के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध रोकथाम में कार्यवाही करते हुए थाना नानौता पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त शाहजाद उर्फ शाहरुख पुत्र एजाज नि०मौ० अफगानान कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर को 10 बोटल अग्रेजी शराब क्रेजी रोमियो हरियाणा मार्का के साथ सल्फर रोड ट्रांसफार्मर के पास से समय 19.35 बजे गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु०अ०सं० 0207/2022 धारा 63 आबकारी अधि० पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त का नाम व पता :-

शाहजाद उर्फ शाहरुख पुत्र एजाज नि०मौ० अफगानान कस्बा व थाना नानौता
जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण :-

10 बोटल अग्रेजी शराब क्रेजी रोमियो हरियाणा मार्का

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु०अ०सं० 0205/22 धारा 63 आबकारी अधि० थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. मु०अ०सं० 0257/21 धारा 363 भादवि व 3(2)5A SC ST ACT थाना नानौता जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम :-

4. थानाध्यक्ष चन्द्रसैन सैनी
5. उ०नि० श्री पुष्पेन्द्र कुमार
6. का० 1258 सुमित कुमार

प्रेस नोट

दिनांक-08/09/2022 थाना सरसावा सहारनपुर

थाना सरसावा पुलिस द्वारा एक नफर अभियुक्त को 10 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का के साथ गिरफ्तार किया गया ।

अवगत कराना है कि श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहारनपुर के निर्देशन में व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के द्वारा अवैध शराब की तस्करी एवं बिक्री रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमान पुलिस क्षेत्राधिकारी नकुड महोदय के निकट पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना सरसावा के कुशल नेतृत्व में उ0नि0 श्री सतेन्द्र सिंह द्वारा मय हमराही फोर्स के दिनांक-08.09.2022 को अभियुक्त सागर पुत्र सेठपाल निवासी ग्राम रायपुर, थाना सरसावा जिला सहारनपुर को ग्राम कुण्डी के पास रायपुर रोड पर मय 10 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का के साथ समय करीब – 09.40 बजे गिरफ्तार किया गया । जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 351/2022 धारा 63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया । अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण

सागर पुत्र सेठपाल निवासी ग्राम रायपुर, थाना – सरसावा, जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

10 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का

अपराधिक इतिहास अभियुक्त सरजीत

मु0अ0सं0 351/2022 धारा 63 आबकारी अधि0 थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम

- 1.उ0नि0 श्री सतेन्द्र सिंह, थाना सरसावा, जनपद सहारनपुर
- 2.कां0 1531 विक्रान्त दांगी, थाना सरसावा, सहारनपुर
- 3.कां0 2504 रवि कुमार, थाना सरसावा, सहारनपुर ।

प्रेस नोट दिनांक 08.09.22 थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
(थाना गंगोह पुलिस द्वारा एक वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार)

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहारनपुर व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय सहारनपुर द्वारा निर्गत आदेशो निर्देशो के अनुपालन मे तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी गंगोह महोदय के निकट पर्यवेक्षण मे संदिग्ध व्यक्ति/वांछितो/वारण्टी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे चैकिंग अभियान के अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक श्री जसवीर सिंह थाना गंगोह जिला सहारनपुर के कुशल नेतृत्व मे थाना गंगोह पुलिस टीम के द्वारा थाना हाजा पर पंजीकृत अ0स0 412/22 धारा 307/324/504/506 भादवि में वांछित **अभियुक्त सतपाल पुत्र चुहूड सिंह नि0 ग्राम बिलासपुर थाना गंगोह जिला सहारनपुर** को दिनांक 07.09.22 को समय 19.14 बजे माता वाले तिराहा ग्राम बिलासपुर थाना गंगोह जिला सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया है। वांछित अभियुक्त को मा0 न्यायालय पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सतपाल पुत्र चुहूड सिंह नि0 ग्राम बिलासपुर थाना गंगोह जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री विनीत कुमार, थाना गंगोह जिला सहारनपुर
2. का0 1997 विनीत कुमार, थाना गंगोह जिला सहारनपुर
3. का0 390 मोनू चौधरी, थाना गंगोह जिला सहारनपुर

प्रेस नोट दिनांक 08/09/2022 थाना नकुड जनपद सहारनपुर

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय सहारनपुर द्वारा निर्गत आदेशों निर्देशों के अनुपालन में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नकुड महोदय के निकट पर्यवेक्षण में अवैध शराब /नशीला पदार्थ की रोक थाम व /जिला बदर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र प्रसाद वशिष्ठ प्रभारी निरीक्षक थाना नकुड के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड पुलिस द्वारा दो नफर जिला बदर अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से अवैध शराब बरामद की गयी

1. आज दिनांक 08.09.22 को थाना नकुड पुलिस द्वारा दो शातिर जिला बदर अभियुक्त 1. सुनील पुत्र रतन सिंह निवासी ग्राम रामगढ थाना नकुड जनपद सहारनपुर 2. ईश्वर पुत्र काबज निवासी ग्राम रामगढ थाना नकुड जनपद सहारनपुर जिनको माननीय न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त एव राजस्व सहारनपुर के आदेश वाद सख्या 02723/2020 कम्प्युटरीकृत वाद सख्या D 202009600002723 बनाम सुनील व वाद सख्या 02722/2022 कम्प्युटरीकृत वाद सख्या D 2020096000027232 बनाम ईश्वर मे दिनांक 15/05/22 को 06 माह के लिए जिला बदर किया गया था को मय 26 बोतल देशी शराब चार्ली सतरा मार्का हरियाणा के समय करीब 07.50 बजे ग्राम रामगढ मे बिजलीघर के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके सम्बन्ध मे थाना नकुड पर मु0अ0स0 340/22 धारा 10 यू0पी0 गुण्डा अधिनियम बनाम सुनील उपरोक्त व मु0अ0स0 341/22 धारा 10 यू0पी0 गुण्डा अधिनियम बनाम ईश्वर उपरोक्त व मु0अ0स0 342/22 धारा 63 EX ACT बनाम सुनील व ईश्वर उपरोक्त के विरुद पजीकृत किया गया अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है

रामदगी-

1. 26 अदद बोतल देशी शराब चार्ली सतरा हरियाणा मार्का

अभि0गण का नाम व पता:-

1. सुनील पुत्र रतन सिंह निवासी ग्राम रामगढ थाना नकुड जनपद सहारनपुर
2. ईश्वर पुत्र काबज निवासी ग्राम रामगढ थाना नकुड जनपद सहारनपुर
3. गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-
 1. उ0नि0 सुनील कुमार
 2. का0 2501 प्रताप
 3. का0 971 राहुल कुमार